

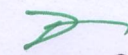
ऐतिहासिक / पुरातत्व धरोहर / रक्षा प्रतिष्ठान न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र रतलाम के वनखण्ड रावटी "ए" बीट मुन्दड़ी के वन कक्ष क्रमांक P-24 के अन्तर्गत जल संसाधन संभाग, जिला-रतलाम द्वारा प्रस्तावित कुआझागर तालाब सिंचाई परियोजना अन्तर्गत आने वाले प्रस्तावित वनक्षेत्र में कोई भी सुरक्षित ऐतिहासिक/पुरातत्वीय स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक नहीं है।


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम


व्यवस्थापन संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र रतलाम के वनखण्ड रावटी "ए" बीट मुन्दड़ी के वन कक्ष क्रमांक P-24 के अन्तर्गत जल संसाधन संभाग, जिला-रतलाम द्वारा प्रस्तावित कुआझागर तालाब सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वनभूमि से किसी भी ग्रामवासियों का व्यवस्थापन नहीं किया जावेगा। व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम


आवेदित वनक्षेत्र का घनत्व, प्रजाति, ईकोक्लास व गुणवत्ता श्रेणी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र रतलाम के वनखण्ड रावटी "ए" बीट मुन्दड़ी के वन कक्ष क्रमांक P-24 के अन्तर्गत जल संसाधन संभाग, जिला-रतलाम द्वारा प्रस्तावित कुआझागर तालाब सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वनभूमि डूब में जाने से प्रभावित वन क्षेत्र में कोई बहुमूल्य प्रजाति के वृक्ष होना नहीं पाया गया है। वनभूमि ईकोक्लास श्रेणी Vb का होकर 0.2 से भी कम घनत्व का वन क्षेत्र बी.एल-3 का होना पाया गया है।


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

वन्यप्राणी गणना वर्ष 2021 के परिणाम

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र रतलाम के वनखण्ड रावटी "ए" बीट मुन्दड़ी के वन कक्ष क्रमांक P-24 में वन्यप्राणी गणना वर्ष 2021 में निम्नलिखित वन्यप्राणी पाये गये :-

- 01) नीलगाय (घोडारोज)
- 02) सियार
- 03) लोमड़ी


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

सैलाना अभ्यारण्य क्षेत्र से दूरी दर्शाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र रतलाम के वनखण्ड रावटी "ए" बीट मुन्दड़ी के वन कक्ष क्रमांक P-24 से वन परिक्षेत्र सैलाना में स्थित सैलाना खरमोर अभ्यारण्य से लगभग 23.00 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

न्यूनतम वनक्षेत्र का उपयोग संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र रतलाम के वनखण्ड रावटी "ए" बीट मुन्दड़ी के वन कक्ष क्रमांक P-24 के अन्तर्गत जल संसाधन संभाग, जिला-रतलाम द्वारा प्रस्तावित कुआझागर तालाब सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वनभूमि में न्यूनतम वनक्षेत्र का उपयोग किया जावेगा।


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

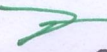
क्षतिपूर्ति वनीकरण संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र सैलाना के अन्तर्गत शासन निर्देशानुसार प्रकरण 20.512 हेक्टेयर के विरुद्ध रकबा 20.512 हेक्टेयर गैर वनभूमि कलेक्टर, जिला, रतलाम द्वारा ग्राम कंसेर के सर्वे नम्बर 118/3 तहसील पिपलौदा में राजस्व भूमि आबंटित की गई है, जिसमें योजना स्वीकृत होने पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य किया जावेगा, जिसका प्राक्कलन योजना में संलग्न किया गया है।


वनमण्डलाधिकारी
सैलाना

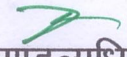
दुर्लभ संकटापन्न फलोरा/फोना संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र रतलाम के वनखण्ड रावटी "ए" बीट मुन्दड़ी के वन कक्ष क्रमांक P-24 के अन्तर्गत जल संसाधन संभाग, जिला-रतलाम द्वारा प्रस्तावित कुआझागर तालाब सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वनभूमि में निर्माण किये जाने वाले स्थल में कोई भी दुर्लभ संकटापन्न/विशिष्ट प्रजाति के वनक्षेत्र में कोई पेड़ पौधे नहीं है तथा दुर्लभ प्रजाति का वन्यप्राणी होना नहीं पाया गया है।


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

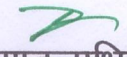
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र रतलाम के वनखण्ड रावटी "ए" बीट मुन्दड़ी के वन कक्ष क्रमांक P-24 के अन्तर्गत जल संसाधन संभाग, जिला-रतलाम द्वारा प्रस्तावित कुआझागर तालाब सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वनभूमि में निर्माण किये जाने वाले स्थल का चयन किया गया, आवेदक विभाग द्वारा अद्यतन स्थिति में वनक्षेत्र में कोई वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन संबंधी कोई कार्य नहीं किया गया।


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

आवेदित क्षेत्रों में वृक्षों की गणना संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र रतलाम के वनखण्ड रावटी "ए" बीट मुन्दड़ी के वन कक्ष क्रमांक P-24 के अन्तर्गत जल संसाधन संभाग, जिला-रतलाम द्वारा प्रस्तावित कुआझागर तालाब सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वनभूमि में निर्माण किये जाने वाले स्थल 20.512 हेक्टेयर वनभूमि में कोई वृक्ष पेड़ पौधे प्रभावित नहीं होंगे।


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम